

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-838 / 2011

संस्थित दिनांक-08.11.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. राजेन्द्र ढोढरे पिता शिवशंकर ढोढरे, उम्र 25 साल, जाति कलार,
निवासी कटराटोला बोदा थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. तीजाबाई पति शिवशंकर ढोढरे, उम्र 43 साल, जाति कलार,
निवासी कटराटोला बोदा थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक – 26 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332/34 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.09.2011 को सुबह के 08:00 बजे ग्राम मुनारा थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी रूपलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रूपलाल तेकाम को जो वनरक्षक होकर लोकसेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहा था, इस आशय से कि आहत को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु बैलगाड़ी की उभारी से बाएँ हाथ की कलाई पर डण्डे एवं चप्पल से पीठ पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रूपलाल ने आरक्षी केन्द्र बैहर में दिनांक 12.09.2011 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट लिखाई कि वह बोदा वीट में वन रक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 01.09.2011 को वन गस्ती के दौरान एक सूखा पेड़ कटा हुआ पाया गया। उसकी लकड़ी को दिनांक 12.09.2011 को सुबह 07:00 बजे एक व्यक्ति एक महिला के साथ गाड़ी भरकर ले जा रहा था। उसने गाड़ी रोकी तो गाड़ी वाले ने उसे मादरचोद की गन्दी-गन्दी गालिया दी और कुल्हाड़ी फेंककर मारी, जिससे वह बच गया। उसने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी हांकने वाले व्यक्ति ने उसे लकड़ी से मारा और महिला ने उसे चप्पल से मारा। महिला और पुरुष ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/11 अन्तर्गत धारा 186, 323, 294, 34 पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186, 294, 332, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332/34 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं फरियादी ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.09.2011 को सुबह के 08:00 बजे ग्राम मुनारा थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी रूपलाल तेकाम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- (2) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत

रूपलाल तेकाम को जो वनरक्षक होकर लोकसेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहा था, इस आशय से कि आहत को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु बैलगाड़ी की उभारी से बाएं हाथ की कलाई पर डण्डे एवं चप्पल से पीठ पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी रूपलाल तेकाम (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 11.09.2011 को उसने बीट में गस्ती के दौरान कक्ष क्रमांक 1565 में एक साजा का पेड़ कटा हुआ देखा। दूसरे दिन आरोपीगण कटे हुये पेड़ की जलाऊ लकड़ी को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। उसने गाड़ी के आगे खड़े होकर रोकने का प्रयास किया तो आरोपी राजेन्द्र ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी फेंककर मारा, जिससे वह बच गया। उसके बाद आरोपी ने उसे लकड़ी से मारपीट की और आरोपी तीजाबाई ने चप्पल से उसके साथ मारपीट की। घटना के समय वह जंगल में सुरक्षा का कार्य कर रहा था। आरोपीगण मादरचोद बहन चोद की गालिया दे रहे थे जो सुनने में बुरी लग रही थी। घटना की लिखित रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 हैं। पुलिस ने उसके आवेदन के आधार पर प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता जग्गु बघाड़े (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 12.09.2011 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी रूपलाल की सूचना पर आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92 / 11 अन्तर्गत धारा 186, 323, 294,

34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता इंजनसिंह (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 13.09.2011 को अपराध क्रमांक 92/11 की केश डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर सुरेश ही निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। दिनांक 02.11.2011 को आरोपी राजेन्द्र ढोढरे, तीजाबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 एवं 08 तैयार किया था। आरोपी राजेन्द्र ढोढरे से एक उभारी बैलगाड़ी की नागिरी प्रजाति की लकड़ी गवाह झनकलाल ढोढरे, धरमलाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। गवाह रूपलाल, झामसिंह, सुरेश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमारे (अ.सा. 3) का कहना है कि दिनांक 12.09.2011 को उसके समक्ष थाना बैहर के आरक्षक सुमेरसिंह क्रमांक 101 के द्वारा आहत रूपलाल, उम्र 32 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर आहत ने उसे चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी पीठ एवं बांयी रिस्ट पर दर्द होना बताया। जांच में आहत के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। दिनांक 02.11.2011 को उसके समक्ष महिला आरक्षक कुमारी सुनीता क्रमांक 1080 के द्वारा आहत श्रीमती तीजाबाई, उम्र 40 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट होना नहीं पाई थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है। दिनांक 02.11.2011 को आरक्षक सालिकराम क्रमांक 181 के द्वारा आहत राजेन्द्र प्रसाद को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई और न ही आहत ने उसे कोई तकलीफ होना बताया। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(10) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी झामसिंह पुसाम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के एक दिन पहले उसने रूपलाल तेकाम, सुरेश चौकीदार के साथ कक्ष क्रमांक 1565 में एक साजा का पेड़ कटा हुआ देखा था तथा पेड़ के पास जलाऊ लकड़ी इकट्ठी रखी हुई थी। दूसरे दिन उसे रूपलाल तेकाम ने फोन करके बताया कि आरोपी राजेन्द्र ने उसे हाथ पर

और तीजाबाई ने उसे चप्पल से पीठ पर मारा।

(11) अभियोजन साक्षी धरमलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि उसके सामने आरोपी राजेन्द्र ढोढरे से बोदा गाड़ी की जप्ती की कार्यवाही हुई थी। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(12) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी सुरेशलाल (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो साल पुरानी है। वह वीट गार्ड के साथ बोदा के जंगल में प्लाट का काम कर रहा था वहां वन समिति अध्यक्ष झामसिंह भी मौजूद था। शाम के 04:00 बजे पेड़ काटने की आवाज आई तो वह आवाज सुनकर गये तो लकड़िया कटी हुई पड़ी थी। दूसरे दिन वह रूपलाल टेकाम और झामसिंह जंगल में गस्ती पर गये तो उन्होंने गस्ती के दौरान देखा कि बैलगाड़ी में लकड़ी राजेन्द्र और तीजाबाई लेकर जा रहे हैं। गाड़ी रोकने के लिये बोला तो वह नहीं रोके। रूपलाल टेकाम गाड़ी रोकने के लिये गाड़ी के आगे आया तो राजेन्द्र ने रूपलाल टेकाम को कुल्हाड़ी फेंक कर मारी तो वह साईड से हो गया, जिससे उसे कुल्हाड़ी नहीं लगी। आरोपीगण गन्दी-गन्दी गालियाँ दे रहे थे, जो सुनने में उसे बुरी लगी। आरोपीगण मारपीट कर बैलगाड़ी लेकर भाग गये। पुलिस ने घटनास्थल के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि अभियोजन साक्षी सुरेशलाल अभियोजन साक्षी रूपलाल के साथ वन विभाग में कार्य करता है, जिससे उसकी रूपलाल के साथ अच्छी जान पहचान तथा अच्छी मित्रता है, जिस कारण उसने आरोपीगण से रंजिश के चलते रूपलाल के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, मात्र विवेचनाकर्ता एवं फरियादी तथा हितबद्ध साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(14) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी रूपलाल तेकाम (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 11.09.2011 को उसने बीट में रास्ती के दौरान कक्ष क्रमांक 1565 में एक साजा का पेड़ कटा हुआ देखा। दूसरे दिन आरोपीगण कटे हुये पेड़ की जलाऊ लकड़ी को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। उसने गाड़ी के आगे खड़े होकर रोकने का प्रयास किया तो आरोपी राजेन्द्र ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी फेंककर मारा, जिससे वह बच गया। उसके बाद आरोपी ने उसे लकड़ी से मारपीट की और आरोपी तीजाबाई ने चप्पल से उसके साथ मारपीट की। घटना के समय वह जंगल में सुरक्षा का कार्य कर रहा था। आरोपीगण मादरचोद बहन चोद की गालिया दे रहे थे जो सुनने में बुरी लग रही थी। घटना की लिखित रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-01 हैं। पुलिस ने उसके आवेदन के आधार पर प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अश्विास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता जग्गु बघाड़े (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 12.09.2011 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी रूपलाल की सूचना पर आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/11 अन्तर्गत धारा 186, 323, 294, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता इंजनसिंह (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 13.09.2011 को अपराध क्रमांक 92/11 की केश डायरी की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर सुरेश ही निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। दिनांक 02.11.2011 को आरोपी राजेन्द्र ढोढरे, तीजाबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 एवं 08 तैयार किया था। आरोपी राजेन्द्र ढोढरे से एक उभारी बैलगाड़ी की नागिरी प्रजाति की लकड़ी गवाह झनकलाल ढोढरे, धरमलाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। गवाह रूपलाल, झामसिंह, सुरेश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षियों

के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा. 3) का कहना है कि दिनांक 12.09.2011 को उसके समक्ष थाना बैहर के आरक्षक सुमेरसिंह क्रमांक 101 के द्वारा आहत रूपलाल, उम्र 32 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर आहत ने उसे चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी पीठ एवं बांयी रिस्ट पर दर्द होना बताया। जांच में आहत के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 है। दिनांक 02.11.2011 को उसके समक्ष महिला आरक्षक कुमारी सुनीता क्रमांक 1080 के द्वारा आहत श्रीमती तीजाबाई, उम्र 40 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट होना नहीं पाई थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है। दिनांक 02.11.2011 को आरक्षक सालिकराम क्रमांक 181 के द्वारा आहत राजेन्द्र प्रसाद को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई और न ही आहत न उसे कोई तकलीफ होना बताया। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(18) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी झामसिंह पुसाम (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के एक दिन पहले उसने रूपलाल तेकाम, सुरेश चौकीदार के साथ कक्ष क्रमांक 1565 में एक साजा का पेड़ कटा हुआ देखा था तथा पेड़ के पास जलाऊ लकड़ी इकट्ठी रखी हुई थी। दूसरे दिन उसे रूपलाल तेकाम ने फोन करके बताया कि आरोपी राजेन्द्र ने उसे हाथ पर और तीजाबाई ने उसे चप्पल से पीठ पर मारा। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी धरमलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि उसके सामने आरोपी राजेन्द्र ढोढरे से बोदा गाड़ी की जप्ती की कार्यवाही हुई थी। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तारी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(20) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी सुरेशलाल (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो साल पुरानी है। वह वीट गार्ड के साथ बोदा के जंगल में प्लाट का काम कर रहा था वहां वन समिति अध्यक्ष झामसिंह भी मौजूद था। शाम के 04:00 बजे पेड़ काटने की आवाज आई तो वह आवाज सुनकर गये तो लकड़िया कटी हुई पड़ी थी। दूसरे दिन वह रूपलाल टेकाम और झामसिंह जंगल में गस्ती पर गये तो उन्होंने गस्ती के दौरान देखा कि बैलगाड़ी में लकड़ी राजेन्द्र और तीजाबाई लेकर जा रहे थे गाड़ी रोकने के लिये बोला तो वह नहीं रोके। रूपलाल टेकाम गाड़ी रोकने के लिये गाड़ी के आगे आया तो राजेन्द्र ने रूपलाल टेकाम को कुल्हाड़ी फेंक कर मारी तो वह साईड से हो गया, जिससे उसे कुल्हाड़ी नहीं लगी। आरोपीगण गन्दी-गन्दी गालियाँ दे रहे थे, जो सुनने में उसे बुरी लगी। आरोपीगण मारपीट कर बैलगाड़ी लेकर भाग गये। पुलिस ने घटनास्थल के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-06 तैयार किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी रूपलाल टेकाम (अ.सा. 1) एवं साक्षी जग्गु बघाड़े (अ.सा. 5), विवेचनाकर्ता इंजनसिंह (अ.सा. 4), सुरेशलाल (अ.सा. 7), झामसिंह पुसाम (अ.सा. 2) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.09.2011 को सुबह के 08:00 बजे ग्राम मुनारा थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी रूपलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रूपलाल टेकाम को जो वनरक्षक होकर लोकसेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहा था, इस आशय से कि आहत को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयतित हेतु बैलगाड़ी की उभारी से बाएं हाथ की

कलाई पर डण्डे एवं चप्पल से पीठ पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.09.2011 को सुबह के 08:00 बजे ग्राम मुनारा थानान्तर्गत बैहर में लोकस्थान पर फरियादी रूपलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत रूपलाल तेकाम को जो वनरक्षक होकर लोकसेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहा था, इस आशय से कि आहत को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु बैलगाड़ी की उभारी से बाएं हाथ की कलाई पर डण्डे एवं चप्पल से पीठ पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(23) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332/34 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(24) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(25) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद

नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उन्हें कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के आरोप में 500/—, 500/— (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/34 के आरोप में 06, 06 (छः-छः) माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500/—, 500/— (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी राजेन्द्र एवं तीजाबाई को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(31) आरोपीगण द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा उभारी (लकड़ी) बैलगाड़ी की नीलगिरी प्रजाति की मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

(33) निर्णय की एक-एक प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)